प्रेस विज्ञप्ति
28.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.03.2025 को पटना में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, अन्य अपराध-संकेती दस्तावेजों के साथ 11.64 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी जब्त की गई।

संजीव हंस और अन्य के मामले में पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में बिहार निर्माण विभाग (बीसीडी) के मुख्य अभियंता तारिणी दास; बिहार सरकार के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी; बिहार सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी) के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह; बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीयूआईडीसीओ) के उप परियोजना निदेशक अयाज अहमद; बिहार चिकित्सा सेवा और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) के डीजीएम (परियोजनाएं) सागर जायसवाल; बिहार चिकित्सा सेवा और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) के डीजीएम विकास झा तथा बिहार निर्माण विभाग (बीसीडी) के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार के नाम सामने आए हैं जिसमें पटना आधारित ठेकेदार रिशु श्री भी शामिल है, जिन्हें कई निविदाओं में अनुकूल परिणाम देने के साथ-साथ विभिन्न ठेकेदारों के बिलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत का धन प्राप्त हुआ था।

ईडी ने पटना में उक्त अधिकारियों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली। तलाशी में 11.64 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी, बड़ी संख्या में संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, रिश्वत के पैसे के बंटवारे से संबंधित दस्तावेज और कई अन्य अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।